भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2506

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाई के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक

†2506. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितने शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिबंधों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की विनियामक कार्रवाई के अंतर्गत रखा गया है;

(ख) कितने सहकारी बैंकों को पूंजी पर्याप्तता, ऋण देने या शासन संबंधी मानकों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है और उन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को शहरी सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा उल्लंघनों अथवा अनियमित लेन-देन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित इस संबंध में राज्य-वार, क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) परिसमापन अथवा वित्तीय रूप से संकट ग्रस्त सहकारी बैंकों में कितनी राशि जमा राशि लॉक की गई है और जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान की राज्य-वार स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी):

(क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2021 से सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31-03-2026 की स्थिति के अनुसार टियर-3 श्रेणी के तीन शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए निदेशकों को हटाने और मौद्रिक दंड लगाने सहित विभिन्न कार्रवाई की है। 2021 से पूंजी पर्याप्तता, ऋण या अभिशासन मानदंडों से संबंधित उल्लंघन के लिए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) पर मौद्रिक दंड लगाने से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों में 489 करोड़ रुपये की कुल 3.53 लाख घरेलू भुगतान धोखाधड़ी की सूचना मिली है।

इन धोखाधड़ियों को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों में धोखाधड़ी के जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना शामिल है, जिसमें चेतावनीपूर्ण सलाह जारी करना, बैंकों को रोटेशन और कर्मचारियों की अनिवार्य छुट्टी हेतु सलाह देना, अनुपालन निगरानी, साइबर सुरक्षा सलाह आदि शामिल हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निपटान किए गए दावों का ब्यौरा निम्नानुसार है -

योजना	**बैंक**	**राशि करोड़ रुपये में (31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार)**
परिसमापन/समामेलन के तहत बैंक (डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 17 और 18)	440	11,778.89
प्रतिबंध/सर्व-समावेशी निदेश के तहत बैंक (धारा 18क)	80	7,152.51
कुल	488 (32 उभयनिष्ट)	18,931.40

दिनांक 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार डीआईसीजीसी द्वारा निपटान किए गए दावों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने अपने पर्यवेक्षी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैं -

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और अन्य लागू क़ानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का पर्यवेक्षण करता है। शहरी सहकारी बैंकों में जोखिम निर्माण के मूल कारणों का समाधान करने पर अधिक ध्यान देने के लिए विशेष रूप से अभिशासन और आश्वासन कार्यों जैसे क्षेत्रों में, पर्यवेक्षी ढांचे पर पुनः कार्य किया गया है, और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- इसके अलावा, हाल के वर्षों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से रिज़र्व बैंक की ऑन-साइट पर्यवेक्षी परीक्षाओं को भी काफी सुदृढ़ किया गया है।
- त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे में अभिज्ञात शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को बहाल करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए समयबद्ध तरीके से उपचारात्मक उपाय शुरू करें और कार्यान्वित करें।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने डीआईसीजीसी के माध्यम से जमा बीमा के रूप में बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) के खाताधारकों के लिए एक वित्तीय सुरक्षा तंत्र भी कार्यान्वित किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों और उनके तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता लाने के लिए जागरूकता अभियान "आरबीआई कहता है" शुरू किया है।

अनुबंध-I

"भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाई के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**एआईडी के अंतर्गत रखे गए बैंकों की संख्या**	**27 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार एआईडी के अंतर्गत बैंकों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	2	0
2	असम	3	2
3	बिहार	1	0
4	गुजरात	4	2
5	हिमाचल प्रदेश	1	1
6	कर्नाटक	12	4
7	केरल	2	1
8	मध्य प्रदेश	2	1
9	महाराष्ट्र	41	10
10	नई दिल्ली	2	2
11	पंजाब	1	0
12	राजस्थान	1	0
13	तमिलनाडु	1	0
14	उत्तर प्रदेश	12	2
15	उत्तराखंड	1	1
16	पश्चिम बंगाल	1	1
	कुल योग	**87**	**27***

*स्रोत: आरबीआई

अनुबंध-II

"भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाई के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	**राज्य**	**शहरी सहकारी बैंकों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	6
2	छत्तीसगढ़	4
3	गोवा	1
4	गुजरात	81
5	हरियाणा	1
6	हिमाचल प्रदेश	4
7	जम्मू और कश्मीर	2
8	झारखंड	1
9	कर्नाटक	16
10	केरल	9
11	मध्य प्रदेश	8
12	महाराष्ट्र	108
13	मेघालय	1
14	मिजोरम	1
15	नई दिल्ली	2
16	ओडिशा	3
17	पुडुचेरी	1
18	पंजाब	3
19	राजस्थान	2
20	तमिलनाडु	35
21	तेलंगाना	11
22	उत्तर प्रदेश	21
23	पश्चिम बंगाल	6
कुल		**327**

स्रोत: आरबीआई

अनुबंध-III

"भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक कार्रवाई के तहत आने वाले शहरी सहकारी बैंक" के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के भाग *(घ)* में उल्लिखित अनुबंध

क्रम सं.	राज्य का नाम	निपटान किए गए दावों का योग (करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	346.55
2	असम	100.64
3	बिहार	76.04
4	छत्तीसगढ़	34.62
5	दिल्ली	27.06
6	गोवा	397.71
7	गुजरात	2,509.21
8	हरियाण	3
9	हिमाचल प्रदेश	139.71
10	झारखंड	9.39
11	कर्नाटक	1,718.32
12	केरल	574.2
13	मध्य प्रदेश	118.69
14	महाराष्ट्र	12,160.52
15	मणिपुर	0.03
16	ओडिशा	27.33
17	पंजाब	5.43
18	राजस्थान	144.29
19	सिक्किम	17.3
20	तमिलनाडु	51.42
21	तेलंगाना	13.71
22	उत्तर प्रदेश	376.91
23	उत्तराखंड	1.65
24	पश्चिम बंगाल	77.68
	कुल योग	**18931.40**

स्रोत: आरबीआई
